



उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
// विज्ञप्ति //

क्रमांक : ४७८ परीक्षा / 2015

जबलपुर, दिनांक— 16/07/2015

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सहायक ग्रेड-3, जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 व 3, सहायक ग्रेड-3 एवं सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोट्स), मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सहायक ग्रेड-3 एवं म०प्र० राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में स्टेनोटाईपिस्ट व सहायक ग्रेड-3 के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति वर्ष—2015

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 13/08/2015 (गुरुवार)

आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि— 16/08/2015 (रविवार)

प्रारंभिक परीक्षा दिनांक : 06/09/2015 (रविवार)

उपरोक्त (नियमित) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड “अ”

- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र, विज्ञापन दिनांक से दिनांक 13.08.2015 को रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
- आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को दिनांक 16.08.2015 को रात्रि 11.59 बजे तक सुधारा जा सकता है।

परीक्षा—शुल्क और पोर्टल शुल्क—

अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए रूपये 600/- एमपीऑनलाइन को देय पोर्टल शुल्क एवं रूपये 200/- परीक्षा शुल्क अर्थात् ₹ 600+200 = ₹ 800/- (आठ सौ) तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/विकलांग आवेदकों के लिए एमपीऑनलाइन को देय केवल पोर्टल शुल्क ₹ 600/- (छ: सौ) देय होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कार्य किया जाता है तो सुधार कार्य के लिए अभ्यर्थी द्वारा एमपीऑनलाइन को ₹ 50/- (पचास) प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। यदि उक्त राशि से अधिक की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन के निम्न दूसराओं पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूरभाष क्र. (0755) 4019400-10

खण्ड “ब”
विज्ञापित पदों का विवरण

एक:- पदनाम, वेतनमान तथा अर्हताये :-

पदनाम एवं वेतनमान	रिक्ति पद	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता	अतिरिक्त योग्यता
(1) शीघ्रलेखक ग्रेड-2 5200—20200 + ग्रेड पे 2800 (जिला न्यायालय)	53	<ol style="list-style-type: none"> मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। 	<ol style="list-style-type: none"> अंग्रेजी टायपिंग/ स्टेनोग्राफी का ज्ञान। कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का ज्ञान।
(2) शीघ्रलेखक ग्रेड-3 5200—20200 + ग्रेड पे 2400 (जिला न्यायालय)	155	<ol style="list-style-type: none"> मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। 	<ol style="list-style-type: none"> अंग्रेजी टायपिंग/ स्टेनोग्राफी का ज्ञान। कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का ज्ञान।
(3) स्टेनोटाइपिस्ट 5200—20200 + ग्रेड पे— 1900 + 125/- विशेष भत्ता (म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग)	08	<ol style="list-style-type: none"> मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। 	
(4) सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) 5200 — 20200 + ग्रेड पे 1900 (जिला न्यायालय)	20	<ol style="list-style-type: none"> मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। 	हिन्दी स्टेनोग्राफी का ज्ञान।



(5) सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200—20200 + ग्रेड पे 1900 (उच्च न्यायालय)	45	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	डाटा एन्ट्री ऑपरेशन का ज्ञान।
(6) सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200—20200 + ग्रेड पे 1900 (जिला न्यायालय)	610	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	1. अंग्रेजी टायपिंग/स्टेनोग्राफी का ज्ञान। 2. कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का ज्ञान।
(7) सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200—20200 + ग्रेड पे 1900 (रा.वि.से.प्राधि.)	96	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	1. अंग्रेजी टायपिंग/स्टेनोग्राफी का ज्ञान। 2. कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का ज्ञान।
(8) सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200—20200 + ग्रेड पे 1900 (म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग)	16	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	1. अंग्रेजी टायपिंग/स्टेनोग्राफी का ज्ञान। 2. कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का ज्ञान।
कुल पद	1003		

उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, राज्य विधिक सेवा प्राधि0 एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से संबंधित पदों हेतु टीप :-

- (1) उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अतिरिक्त योग्यता हेतु संबंधित विषय/ज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।
- (2) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी-3-11 08/3/एक दिनांक 12.06.2009 तथा परिपत्र क्र.सी-3-8/2013/1/3 दिनांक 01. 07.2013 के प्रकाश में केवल निम्नलिखित संस्थाओं से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य किये जायें :—
 1. Diploma from all Universities recognized by UGC.
 2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
 3. Diploma level examination from DOEACC.
 4. M. O. M. Course from Govt. Polytechnic College.
 5. Computer Operator & Programming Assistant(COPA) from I.T.I.

विश्वविद्यालय/डोएक से परीक्षा उत्तीर्ण होना तभी माना जावेगा जबकि संबंधित विश्वविद्यालय/डोएक से प्रमाण पत्र/अंकसूची जारी की गई हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बी0ए0, बी0कॉम0 या बी0एस0सी0 में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कम्प्यूटर योग्यता हेतु अर्हताकारी नहीं माना जायेगा। (जैसा कि माननीय म0प्र0उच्चन्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं0 1925/2010, आई0एल0आर0 (2011) म0प्र0 1847 (डी0बी0) में अभिनिर्धारित किया गया है)

दो: -

- (1) म.प्र. राज्य के बाहर के अजा/अजजा/अपिव के आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित है।
- (2) केवल म.प्र. के मूल निवासी जो अजा/अजजा/अपिव के हैं, वे आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।
- (3) अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आते हों।

तीन: -

- (अ) चयनित आवेदकों की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
- (ब) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम सूचनापत्र देने पर सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।
- (स) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

चार: -

प्रत्येक प्रवर्ग के नियमित पदों की अनुमानित संख्या :-

क्र०	पद का नाम	अनारक्षित			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनु० जाति			अनु० जनजाति			योग
		सामान्य	भूतिला	विकलांग	सामान्य	भूतिला	विकलांग	सामान्य	भूतिला	विकलांग	सामान्य	भूतिला	विकलांग	
1	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (जि.न्या.)	18	3	-	6	2	-	5	-	-	16	3	-	53
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (जि.न्या.)	62	14	1	13	-	-	20	2	1	35	6	1	155
3	स्टेनोटाईफिस्ट (रा०उ०वि०प्र०आ०)	5	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	8
4	सहायक ग्रेड-3 (अंग्रेजी) (जि. न्या.)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
5	सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय)	15	-	1	4	-	-	4	-	1	19	-	1	45
6	सहायक ग्रेड-3 (जि. न्या.)	209	84	10	48	17	3	66	21	2	104	40	6	610
7	सहायक ग्रेड-3 (रा.वि.से.प्राधि.)	32	15	1	9	4	-	10	5	1	12	6	1	96
8	सहायक ग्रेड-3 (रा०उ०वि०प्र०आ०)	9	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-	-	16
कुल		370	116	13	82	23	3	107	28	5	192	55	9	1003

पांच:-

- (1) मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 प्रतिशत पद समस्तरीय एवं प्रभागवार (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाईज) आरक्षित है।
- (2) प्रारंभिक परीक्षा केन्द्र विभिन्न जिलों के शैक्षणिक संस्थान होंगे। परीक्षार्थीयों को परीक्षा केन्द्र के जिले के चयन का विकल्प दिया जायेगा परन्तु परीक्षा केन्द्र व जिले तथा परीक्षा सत्र (Shift) के बारे में अंतिम निर्णय एमपीऑनलाईन का परीक्षार्थीयों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए होगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
- (3) अभ्यर्थी सभी पद प्रवर्ग या उनमें से किन्हीं के लिये एक ही आवेदन पत्र के द्वारा ऑन-लाईन आवेदन कर सकता है। लेकिन एक से अधिक पद प्रवर्ग हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का चयन उसके पसंद के पद प्रवर्ग पर नहीं किया जावेगा बल्कि एक से अधिक पद हेतु सफल अभ्यर्थी को पद प्रवर्ग 1. स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (जिला न्यायालय) 2. स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (जिला न्यायालय), 3. स्टेनोटाईफिस्ट (रा०उ०वि०प्र०आ०) 4. सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) (जिला न्यायालय), 5. सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय), 6. सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) 7. सहायक

ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) 8. सहायक ग्रेड-3 (रा०उ०वि०प्र०आ०) के घटते कम में अधिमान्यता देते हुए केवल एक पद हेतु चयनित किया जावेगा। यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त किसी पद हेतु चयनित हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को अन्य पदों की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

- (4) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के साथ उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जावेगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रेषित न करने एवं अपूर्ण आवेदन भेजने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (5) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रेषित करना चाहता है तो वह केवल एक ही आवेदन पत्र में पदों का विवरण देते हुए अपना आवेदन एवं स्वप्रमाणित दस्तावेज़/नवीन फोटोग्राफ़ प्रेषित कर सकता है। विभिन्न पदों के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन प्रेषित करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
- (6) जिला न्यायालयों के पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के जिला न्यायाधीश होगें तथा चयनित अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन कॉर्टसलिंग द्वारा अभ्यर्थियों की मेरिट (श्रेणीवार) एवं जिले में रिक्त पदों की श्रेणीवार उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सफल अभ्यर्थियों को किसी जिला विशेष या पद विशेष पर पदस्थापना प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (7) जिला न्यायालयों के पदों से संबंधित अभ्यर्थी, की नियुक्ति होने पर तीन वर्ष तक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

छ: —

(1) आयु की गणना :— (उच्च न्यायालय से संबंधित पदों हेतु)

दिनांक 01.01.2016 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :—

1	पुरुष आवेदक (सामान्य वर्ग)	35 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु०जाति / अनु० जनजाति / अ०पि०वर्ग०)	40 वर्ष
3	महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	$35+10 = 45$ वर्ष
4	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु०जाति / अनु० जनजाति / अ०पि०वर्ग०)	$35+5+10 = 50$ वर्ष
5	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	$35+10+5 = 50$ वर्ष
6	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु०जाति / अनु०जनजाति / अ०पि०वर्ग०)	$35+5+10+5 = 55$ वर्ष

नोट:— शासकीय सेवारत कर्मचारियों को 38 वर्ष तथा विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत किये गये परिपत्रों के आलोक में आयु-सीमा में छूट दी जायेगी।

(2) आयु की गणना :—(जिला न्यायालय, म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं म०प्र० राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से संबंधित पदों हेतु)

दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना (म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र कं० सी-3-11/12/1/3, भोपाल, दिनांक 03 नवंबर, 2012 के अनुसार) निम्नानुसार होगी :—

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पेंचड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/ निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पेंचड़ा वर्ग)	45 वर्ष

सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टीप :-यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, अर्हता अथवा आरक्षण से सम्बन्धित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गयी है, से सम्बन्धित गलत जानकारी दिया है तो किसी भी समय उसे संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा ।

सात:- अनर्हताएँ -

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या
3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
4. चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
7. परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर), जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो ।



ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :-

आवेदन पत्र वेबसाईट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये www.mponline.gov.in पर Authorized Kiosk list Link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-

आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज नागरिक सेवाएँ

में विलक करें इसके बाद MP High Court के Logo पर Click करें तत्पश्चात Application Services में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए दी हुई link पर click करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले Advertisement को विलक कर, दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरान्त ही Online Apply करने के लिए Form को विलक करें। इसके उपरान्त आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियाँ सही—सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के Link (प्रारूप हेतु इस लिंक पर विलक करें) दिखाई देगी। Hyperlink को विलक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरान्त उक्त फारमेट को स्केन कर .jpg फारमेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन विलक करें। इसके उपरान्त जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो एवं हस्ताक्षर सेलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरान्त Submit बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नम्बर प्राप्त होगा। इसके उपरान्त आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to Payment बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

1— क्रेडिट / डेबिट कार्ड।

2— इंटरनेट बैंकिंग।

- 3— क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :—** आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरान्त कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन सम्बन्धी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
- 4— इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :—** आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त Proceed to Payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरमीट बैंकिंग आषान दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आईडी. पासवर्ड डालकर लाग—इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिन्ट अवश्य लें।
- 5— एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :—** आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियों आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियों फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराईज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इसे रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

- 6— यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 16.08.2015 (रविवार) रात्रि 11.59 बजे तक संबंधित त्रुटि को एमोपी0ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क (50 रुपये) जमा कर सुधार सकेंगे। परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।
- 7— यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।
- 8— इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाइ गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एमो पी0 ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारियों भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से सम्बन्धित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
- 9— ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हे ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाईन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा न करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जायेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट :- यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बरों पर तत्काल सम्पर्क करें –

एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड,
भोपाल– 402026, फोन (0755) 4019400, 4019430

खण्ड—“स”

परीक्षा की योजना :- यह परीक्षा दो चरणों में होगी :-

1. प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन)
2. मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार

1. प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन) (100 अंक)

प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा “ऑनलाइन” आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिये आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा।

एक:- प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन) का दिनांक/समय/सत्र व केन्द्र -

प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन), एम.पी.ऑनलाइन के द्वारा अपने पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से दिनांक— 06.09.2015 (रविवार) को परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए अन्य दिनांक को भी भिन्न-भिन्न सत्रों में आयोजित कराई जा सकेगी, तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से किसी एक या अधिक केन्द्र/केन्द्रों पर परीक्षा सम्पन्न न होने पर उन केन्द्र/केन्द्रों की परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा उन केन्द्र/केन्द्रों के सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा पुनः ली जा सकेगी और उनके प्रश्न-पत्र भी भिन्न होंगे। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र विभिन्न जिलों के शैक्षणिक संस्थान होंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र के जिले के चयन का विकल्प दिया जायेगा जो “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर होगा परन्तु परीक्षा केन्द्र व जिले तथा परीक्षा सम्बन्ध (Shift) के बारे में अंतिम निर्णय एम०पी० ऑनलाइन का परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए होगा तथा इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र विभिन्न जिलों में आवश्यकतानुसार रहेंगे। परीक्षा सत्र, परीक्षा केन्द्र व जिला के आंदोलन संबंधी एम०पी० ऑनलाइन का निर्णय अंतिम होगा।

नोट: कोई भी आवेदक जो इस विज्ञापन के तहत आवेदन करता है तो यह माना जावेगा कि उसे विज्ञापन की सभी शर्तें मान्य हैं एवं उसे किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।

दो:- प्रवेश पत्र — प्रवेश पत्र एमपीऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा, जिसकी सूचना म०प्र०० उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जावेगी। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट एमपीऑनलाइन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in) के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर प्राप्त किया जा सकेगा।

तीन— प्रारंभिक परीक्षा का प्रारंभिक प्रक्रम :-

Preliminary Examination for the Posts of	Syllabus	No.of Questions	Marks
	(१) सामान्य ज्ञान (G.K.) + सामाजिक विज्ञान Social Science	30	30
स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 व ग्रेड-3, स्टेनोटाईपिस्ट एवं सहायक ग्रेड-3 के सभी पद प्रवर्गों हेतु	(२) गणित (Maths)+ विज्ञान(Science)	20	20
	(३) सामान्य हिन्दी (General Hindi)	10	10
	(४) अंग्रेजी ज्ञान (English Knowledge)	20	20
	(५) कम्प्यूटर ज्ञान (Computer knowledge)	20	20

चार: - प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन) प्रक्रिया :-

- (1) प्रारंभिक परीक्षा हेतु 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर/विकल्प होंगे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न कर सकने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले पृष्ठ पर वापस जा सकेगा इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हल करने की समय-सीमा 120 मिनट यानि 2 घण्टे की होगी। इस परीक्षा में कोई ऋणात्मक अंक नहीं काटे जावेंगे।
- (2) **Mock Test (मॉक टेस्ट)**— आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु एमपीऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर Mock Test (मॉक टेस्ट) (परीक्षा अभ्यास) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (3) आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो पहचान पत्र (ओरिजिनल) लाना होगा और उसके पहचान के सत्यापन के बाद ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा।
- (4) प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक-एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को यूजर आई.डी. के स्थान पर अपना एप्लिकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्मतिथि डालनी होगी।
- (5) इसके पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर/विकल्प दिखेंगे। आवेदक इन चारों में से किसी एक विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सेव(Save) कर सकता है।
- (6) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।
- (7) ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विवरण एमपीऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी दिया जा सकेगा।

पाँच: - प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन) का मूल्यांकन एवं परिणाम :-

- (1) प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन) का मूल्यांकन कम्प्यूटराज्ड होगा। स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक पदों की मुख्य परीक्षा के लिए प्रत्येक श्रेणी की मेरिट के आधार पर लगभग 1:3 अभ्यर्थियों को ही आमंत्रित किया जावेगा। उपरोक्त अनुपात में आने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे, समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जायेगा।
- (2) प्रश्नों के उत्तर (प्रस्तावित आदर्श उत्तर) जिनका परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशयित है उसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जावेगा कि यदि कोई अभ्यर्थी कोई आपत्ति/स्पष्टीकरण इत्यादि उक्त प्रस्तावित आदर्श उत्तरों के संबंध में देना चाहता है तो वह आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के अंदर लिखित मे प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) के समक्ष कार्यालयीन समय में स्वयं उपरिथित होकर अथवा अन्य माध्यमों से अपने नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक आदि के विवरण एवं स्त्रोत/दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर एमपीऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उसे नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

- (3) परीक्षा पूर्ण होने पर यथाशीघ्र एम०पी०ऑनलाइन द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य/सफल पाये गये उम्मीदवारों की सूची म०प्र० उच्च न्यायालय व एम०पी०ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जावेगी। सफल व असफल हुए अभ्यर्थी के प्राप्तांकों की सूचना पृथक से एम०पी०ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी उसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कराना होगी।

छ: - आवश्यक सूचना :-

- (1) आवेदक को अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
- (2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा उसी दिन या अन्य दिन द्वितीय सत्र में होती है तो भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- (3) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का केलकुलेटर, मोबाइल, लिस्निंग डिवाईस, रिकार्डिंग डिवाईस, अलार्म वॉच, इलेक्ट्रानिक गैजेट इत्यादि ले जाना प्रतिबंधित है। आवेदक अपने साथ सिर्फ प्रवेश पत्र, पेन एवं पेन्सिल ले जा सकेगा।
- (4) परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा क्लोज सर्किट टी०वी० (C.C.T.V.) कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकार्डिंग की जावेगी।

सात: - अनुचित साधन:-

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (Unfair Means) के अंतर्गत माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से विवर्जित कर दिया जाएगा :-

- (1) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।
- (2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (4) परीक्षा के दौरान चिठ्ठाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना, तांकझाक करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।
- (5) परीक्षा कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (6) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी/अधिकारी को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना, परीक्षा कक्ष/भवन के किसी भी वस्तु, संपत्ति, यंत्र, कम्प्यूटर आदि को किसी तरह क्षति पहुँचाना।

2—मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार (100 अंक)

एक:-

मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र – मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति के साथ, प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाये गये अभ्यर्थियों से बुलाये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जायेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा दिनांक से 20 दिन पूर्व आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय

मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कराना होगा। उक्त समय के बाद मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी, उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्तता निरस्त कर दिया जायेगा। विभिन्न पदों के लिए पृथक—पृथक आवेदन प्रेषित करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।


दो: — मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम —

मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों/दस्तावेजों का प्राथमिक परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जावेगी एवं सभी प्रवर्ग के पदों के लगभग तीन गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से जारी किये जावेंगे। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :—

S.No	Post	Subject	Marks	Time
1	शीघ्रलेखक ग्रेड-2, ग्रेड-3 (जिला न्याय) स्टेनोटाईपिस्ट (म0प्र0. रा0उ0वि0प्र0आ0)	Hindi Stenography dictation+Typing	90	5+30=35 Minutes
		Interview	10	
2	सहायक ग्रेड-3 इंग्लिश नोइंग (जिला न्यायालय)	English Stenography dictation+Typing	90	5+30=35 Minutes
		Interview	10	
3	सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय)	Hindi Typing + English Typing + General English	35+35+ 20=90	10+10+ 20=40 Minutes
		Interview	10	
4	सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय), सहायक ग्रेड-3 (रा0वि0से0प्राधि0) एवं सहायक ग्रेड-3 (रा0उ0वि0प्र0आ0)	Hindi Typing + Direct Dictation Typing	30 + 60	10 +10=20 Minutes
		Interview	10	

नोट :—

- (1) सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय) के पद प्रवर्ग की मुख्य परीक्षा का केन्द्र उच्च न्यायालय परिसर मुख्यपीठ—जबलपुर, व खण्डपीठ—इंदौर एवं ग्वालियर होगा।
- (2) सहायक ग्रेड-3, (इंग्लिश नोइंग—जिला न्यायालय) के पद प्रवर्ग की मुख्य परीक्षा का केन्द्र उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर होगा।
- (3) स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 एवं 3 (जिला न्यायालय) एवं स्टेनोटाईपिस्ट (म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण) की मुख्य परीक्षा एक साथ ही होगी, मेरिट व दस्तावेजों के आधार पर वरीयता देते हुए अभ्यर्थियों का चयन ग्रेड-2, ग्रेड-3 एवं स्टेनोटाईपिस्ट के पदों में किया जावेगा, उपरोक्त पदों की मुख्य परीक्षा केन्द्र प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालय होंगे।
- (4) सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय), सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) एवं सहायक ग्रेड-3 (राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग) के पदों की मुख्य परीक्षा एक साथ ही होगी, उपरोक्त पदों की मुख्य परीक्षा केन्द्र प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालय होंगे।
- (5) सभी पदों के संबंध में मुख्य परीक्षा केन्द्र के निर्धारण का अधिकार प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) को होगा एवं प्रारम्भिक परीक्षा के केन्द्र पर ही मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी का अधिकार नहीं माना जावेगा। मुख्य परीक्षा का दिनांक एवं परीक्षा केन्द्र म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।



- (6) शीघ्रलेखक ग्रेड-2, ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) एवं स्टेनोटाईपिस्ट (राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण) पद प्रवर्ग की मुख्य परीक्षा में इस पद हेतु अहंताधारी अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 400 शब्दों का डिक्टेशन हिन्दी में दिया जायेगा, जिसकी टायपिंग हेतु 30 मिनिट का समय पृथक से दिया जायेगा। डिक्टेशन के पूरे भाग को कम्प्यूटर पर टाईप कराया जावेगा अर्थात् उक्त परीक्षण 35 मिनिट का रहेगा। मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा।
- (7) सहायक ग्रेड-3, इंग्लिश नोइंग (जिला न्यायालय) की मुख्य परीक्षा में अहंताधारी अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 300 शब्दों का डिक्टेशन अंग्रेजी में दिया जायेगा इसे 30 मिनिट में कम्प्यूटर पर टाईप कराया जावेगा अर्थात् उक्त परीक्षण 35 मिनिट का रहेगा। मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा।
- (8) सहायक ग्रेड-3, (उच्च न्यायालय) की मुख्य परीक्षा में अहंताधारी अभ्यर्थियों को 10 मिनिट में लगभग 300 शब्दों का हिन्दी टाईपिंग मैटर एवं लगभग 350 शब्दों का अंग्रेजी टाईपिंग मैटर देखकर टाईप करने हेतु दिया जावेगा, इसके पश्चात् एक सामान्य अंग्रेजी का प्रश्नपत्र जो कि 20 अंकों का होगा हल करने हेतु दिया जावेगा उक्त संपूर्ण परीक्षण 40 मिनिट का होगा। टाईपिंग के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा।
- (9) सहायक ग्रेड-3, (जिला न्यायालय, राज्यविभाग प्राधिकारी एवं राज्यविभाग प्रतिविधि) की मुख्य परीक्षा में अहंताधारी अभ्यर्थियों का हिन्दी टाईपिंग टेस्ट लिया जावेगा जो कि लगभग 300 शब्दों का होगा, जिसके लिए 10 मिनिट दिये जावेगे, इसके पश्चात् हिन्दी डायरेक्ट डिक्टेशन टाईपिंग टेस्ट लिया जावेगा, जिसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 मिनिट का समय दिया जावेगा, जो कि लगभग 350 शब्दों का होगा, उक्त संपूर्ण परीक्षण हेतु 20 मिनिट का समय दिया जावेगा। मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा।
- (10) स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, ग्रेड-3 एवं स्टेनोटाईपिस्ट (हिन्दी) तथा सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) की मुख्य परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोट बुक पृथक से प्रदान की जावेगी। उपरोक्त नोट बुक में कोई भी शब्द हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में लिखे होने पर संपूर्ण अंक काटे जावेंगे।
- (11) शीघ्रलेखक ग्रेड-2, ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) एवं स्टेनोटाईपिस्ट (राज्यविभाग प्रतिविधि), सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, राज्यविभाग प्राधिकारी एवं राज्यविभाग प्रतिविधि) की मुख्य परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर प्रदान किया जावेगा।
- (12) प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों की गणना मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम योग्यताक्रम निर्धारित करने में नहीं की जायेगी।

प्रवेश पत्र – मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एमपीऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाईट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट एमपीऑनलाइन की वेबसाईट (www.mponline.gov.in) के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

तीन: –मुख्य परीक्षा का परिणाम :-

प्रत्येक पदों की मुख्य परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों व श्रेणीवार मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा। मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक है। मुख्य परीक्षा के पश्चात् अंतेम चयन सूची उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी एवं मुख्य परीक्षा में समिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एमपीऑनलाइन की वेबसाईट में प्रदर्शित किये जावेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कराना होगी।

टीप:- 1. मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे ।

2. परीक्षा के किसी भी स्तर पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे ।

/ / साक्षात्कार / /

- (1) साक्षात्कार मुख्य परीक्षा दिनांक को ही लिया जावेगा, जो 10 अंक का होगा ।
- (2) साक्षात्कार के समय साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष समस्त अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।
- (3) साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः एवं सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अहर्ता एवं जानकारी :-

- (1) जिला न्यायालयों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के पदों हेतु सभी अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं ।
- (2) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है ।
- (3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो—
 - (क) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों । इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो । ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है । अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है ।
 - (ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए ।
 - (ग) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो ।
 - (घ) जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो ।
 - (ङ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरहित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है ।)
- (4) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को मुख्य परीक्षा दिनांक तक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
- (5) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है । अभ्यर्थी को सभी परीक्षाओं में मूल फोटो परिचय—पत्र भी लाना आवश्यक है । अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय—पत्र भी मान्य किया जा सकेगा ।
- (6) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है ।
- (7) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है ।
- (8) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा ।

- (9) आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा., अनु.ज.जाति एवं अ.पि.व.) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 07-26/96/अ-प्र/दिनांक 01.08.1996 एवं क्रमांक एफ 7-2/96/अ-प्र/1 दिनांक 12.03.1997 में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी ।
- (10) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाइडक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें ।

चार: —

यात्रा व्यय का भुगतान— परीक्षा हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए सिर्फ एम०पी० ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 600/- लिये जा रहे हैं, इस कारण प्रभाविक एवं मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले किसी भी आरक्षित श्रेणी (ओ.बी.सी., एस.सी.एवं एस.टी.) के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

विनिष्ठीकरण:—

परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर—पुस्तिकाओं/आन्सर शीट्स आवेदन—पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा ।

२५.६.१०

 (वेद प्रकाश)
 रजिस्ट्रार जनरल